पटना में दिनांक–28 जून, 2017 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	जल संसाधन विभाग		
1.	अवसाने जलाशय योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य (प्राक्कलित राशि–29.99 लाख (उन्तीस लाख निनानवे हजार रूपये)) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।	1.	**स्वीकृत।**
	जल संसाधन विभाग		
2.	इन्द्रपुरी जलाशय योजना का विस्तृत योजना प्रतिवेदन में बैक वॉटर का अध्ययन, एफलक्स का आकलन एवं पर्यावरण तथा सामाजिक प्रभाव का आकलन के अध्ययन को समाहित करते हुए बाँध टूटान का विश्लेषण करना तथा बाढ़ के नक्शे की तैयारी करने हेतु परामर्शी सेवा के कार्य, प्राक्कलित राशि रू० 1840.00 लाख (अठारह करोड़ चालीस लाख रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति।	2.	**स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
3.	पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा–खासमहाल दीघा, दियारा, थाना नं०–1/2 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–16.8591 एकड़ कैसरे हिन्द भूमि (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–I) एवं मौजा–दुजरा दियारा, थाना नं०–139 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–3.0963 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–II) कैसरे हिन्द भूमि एवं मौजा–नसीरपुर, ताजपुर, थाना नं०–40 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–0.0400 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–III) एवं मौजा–मैनपुरा दियारा, थाना नं०–140 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–0.9117 एकड़ (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–IV) भूमि अनावाद बिहार सरकार की भूमि एवं मौजा–दुजरा दियारा, थाना नं०–139 के विभिन्न खाता एवं खेसरा की कुल रकबा–12.5849 एकड़ खास महाल भूमि (भूमि विवरणी संलग्न परिशिष्ट–V) सहित कुल रकबा–33.492 एकड़ भूमि दीघा–दीदारगंज (गंगा एक्सप्रेसवे) सड़क निर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
4.	किशनगंज जिलान्तर्गत दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अधीन पोठिया अंचल के मौजा–भेलागाछी, थाना सं०–40, खाता सं०–49, खेसरा सं०–70, रकबा–0. 75 एकड़ (पचहत्तर डिसमिल) गैर मजरूआ बिहार सरकार की भूमि पर विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, फाला के निर्माण हेतु 7000/–(सात हजार) रू० प्रति डिसमिल की दर से 5,25,000/–(पाँच लाख पच्चीस हजार) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 6,56,250/–(छः लाख छप्पन हजार दो सौ पचास) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल –11,81,250/–(ग्यारह लाख एकासी हजार दो सौ पचास) रू० के भुगतान पर नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	4.	स्वीकृत।
	वाणिज्य–कर विभाग		
5.	बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम 13) को प्रभावी किये जाने के संबंध में।	5.	स्वीकृत।
	वाणिज्य–कर विभाग		
6.	बिहार राज्य में स्थापित समेकित जाँच चौकियों के संचालन के संबंध में।	6.	स्वीकृत।
	वाणिज्य–कर विभाग		
7.	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के कतिपय प्रावधानों को प्रभावी किए जाने के संबंध में।	7.	स्वीकृत।
	वाणिज्य–कर विभाग		
8.	जी०एस०टी० व्यवस्था के अधीन मालों के परिवहन के अनुश्रवण की व्यवस्था तथा छोटे व्यवसायियों के लिए समाहितीकरण योजना लागू किए जाने के संबंध में।	8.	स्वीकृत।
	परिवहन विभाग		
9.	कर–प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर–ट्रेलर को सर्वक्षमा दिये जाने के संबंध में।	9.	स्वीकृत।
	पंचायती राज विभाग		
10.	बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 6, 2006) के अन्तर्गत बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली, 2017 के प्रारूप पर स्वीकृति के संबंध में।	10.	स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

11.	श्री अनिल कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी सम्प्रति प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, समस्तीपुर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड अधिरोपित करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।	11.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

12.	स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों का प्रत्यायोजन।	12.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

13.	राजकीय औषधालय, कल्याण बिगहा से उत्क्रमित रेफरल अस्पताल, कल्याण बिगहा, हरनौत, नालंदा में विभिन्न कोटि के कुल 27 (सत्ताइस) पदों के सृजन तथा राजकीय औषधालय, कल्याण बिगहा के लिए पूर्व स्वीकृत पदों में से 7 (सात) पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति।	13.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

14.	डा० अरूण कुमार गुप्ता, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलिया, बेगूसराय (संप्रति निलंबित) को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव।	14.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

15.	राज्य के पाँच (5) जिलों यथा नवादा, बक्सर, सिवान, अररिया, एवं खगड़िया में विभागान्तर्गत नवस्वीकृत पोलिटेकनिक संस्थानों में प्रति संस्थान 36 (छत्तीस) शैक्षणिक तथा 38 (अड़तीस) गैर शैक्षणिक अर्थात कुल 180 शैक्षणिक तथा 190 गैर शैक्षणिक पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	15.	स्वीकृत।

ग्रामीण विकास विभाग

16.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहायक अनुदान के रूप में कर्णांकित बजट उपबंध 16700.00 लाख (एक अरब सड़सठ करोड़) रूपये में से केन्द्र से प्राप्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय आनुपातिक सहायक अनुदान एवं माह जून तक मानव दिवस के निर्धारित लक्ष्य के परिपेक्ष्य में मजदूरी दर में अंतर राशि के रूप में कुल 6101.69 लाख (इकसठ करोड़ एक लाख उन्नहत्तर हजार) रूपये विमुक्ति के उपरांत अवशेष राशि कुल 10598.31 लाख (एक अरब पांच करोड़ अंठानबे लाख इकतीस हजार) रूपये एक मुश्त अग्रिम निकासी के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

17.	राज्य के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत महाविद्यालयों, अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क निर्धारण हेतु गठित शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति, बिहार हेतु विभिन्न कोटि के कुल 9 (नौ) पदों के सृजन की स्वीकृति।	17.	स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

18.	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 को दिनांक–01 जुलाई, 2017 से लागू करने के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

ऊर्जा विभाग

19.	12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आर०ई०सी० द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत स्वीकृत मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जिले की ग्रामीण क्षेत्र जो वितरण फ्रेंचाईजी क्षेत्राधीन ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा जो फ्रेंचाईजी द्वारा किए जा रहे Minimum Capex Plan के अतिरिक्त हैं, में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक मे फ्रेंचाईजी एकरारनामा की कंडिका 5.2.5 के अनुरूप विद्युतीकरण कार्य करने की स्वीकृति के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

20.	मो० सोहैल, पिता–मो० छितन, ग्राम–शिवोत्तर टोला सकरी, थाना–सकरी, जिला–मधुबनी की दिनांक–10.06. 2017 को पाकिस्तानी नागरिक द्वारा रियाद, सउदी अरब में हत्या किए जाने के उपरान्त उनके आश्रिता पत्नी को ₹ 4,00,000/–का अनुग्रह–अनुदान के भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।	20.	स्वीकृत।